3 2/2 | पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर विचार किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराकर बाद वादीगण स्वीकार करने के कथन किये तथा विद्वान अधिवक्ता प्रति० द्वारा जवाब के कथनों को दोहराया तथा वाद वादीगण खारिज करने के कथन किये।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादीगण के जवाब दावे के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।

प्रकरण में पक्षकारान द्वारा निम्न साक्ष्य

-क्रमशः

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

प्रस्तुत किये गये।
नकल मौकिक नक्शा ग्राम फुल्की प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी बन्दोबस्त 2004-2024 ग्राम फुल्की खाता नं. 270 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी ग्राम फुल्की सम्वत 2049-52 खाता नम्बर 211 प्रदर्श-3, साक्ष्य शपथ-पत्र प्रहलाद पुत्र नानूराम फुल्की, साक्ष्य शपथ-पत्र रामचंद्र पुत्र देवजी फुल्की, शपथपत्र मांगीलाल, शपथपत्र रमेश,

बहस एवं दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

<u>तनकी नम्बर 1:—</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा शपथ-पत्रों के अतिरिक्त प्रदर्श-1 व प्रदर्श-3 प्रस्तुत किये गये हैं। प्रदर्श-2 से प्रमाणित होता है, कि वादग्रस्त भूमि ग्राम फुल्की ख० नं० 226) रकबा 1.75 हैक्टर के वादीगण अभिलिखित खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-1 वादग्रस्त भूमि का अंश नक्शा है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर से वादीगण के स्वत्व समाप्त हो गये हों।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंज...

-क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्ब अभिलेख बकाया भूमि पर वादीगण की हैसियत धारा 5(43) एवं धारा 14(1) में यथा परिभाषित / वर्णित खातेदार आसामी की प्रमाणित है।	
	अतः यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती है।	
	तनकी नम्बर 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। पूर्व वर्णित अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी तनकी नम्बर 1 के विवेचन तथा विश्लेषण के अनुसार बकाया भूमि ग्राम कुल्मी तहसील रामगंज मण्डी ख. नं. 2267 रकबा 1.75 हे. के वादीगण खातेदार आसामी हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रति० द्वारा वादीगण की भूमि पर बेजा मदाखलत मजाहमत आदि की जाती है, तो इससे वादीगण को ऐसी क्षति संभाव्य है, जिसका आँकलन मुद्रा के रूप में किया जाना संभव नहीं है। साथ ही साथ पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य भी संभावित है।	
	उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वादीगण के विरुद्ध प्रति०	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म-

हुक्म

उक्त अनुतोष दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। लेकिन वादीगण द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया कि प्रति० द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण/अतिचार कर लिया है/ वरन् भी प्रकरण सं० 40/2013 में उक्त भूमि पर 17.6.13 से यथा- स्थिति के आदेश प्रसारित किये हुये हैं, जिनके उल्लंघन की कोई सूचना किसी पक्ष द्वारा नहीं की गयी।

अन्य तनकियात के विवेचनाधीन यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था लेकिन प्रति० द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

लिहाजा साक्ष्याभाव में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5:— इस तनकी को

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की थी प्रतिवादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है, कि वाद वादीगण किस आधार पर चलने योग्य नहीं है। अन्य वादबिन्दुओं के विवेचन अनुसार यह वादबिन्दु खिलाफ प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है। वादबिन्दु नम्बर 6:- वादबिन्दु नम्बर 1 से 5 के विवेचन एवं निष्कर्ष से यह तय किया जाता है, कि वादीगण वादग्रस्त कृषि ग्राम खुल्डी ख.नं. 226 के अभिलिखित खातेदार आसामी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त कृषि से सरोकार नहीं है वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वांछित स्थाई निषेधाज्ञा जारी के हकदार है। अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई आदेश पाबंद किया जाता है, कि वे ग्राम खुल्डी वाकेन उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	रामगंजमण्डी की कृषि खसरा नम्बर 2267 रकबा 1.75 हैक्टेयर पर वादीगण के कब्जेकाश्त में बेजा मदाखलत मजाहमत न स्वयं करे, न अपने एजेन्ट से ही करावें। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

फाईनल

डिकरी व मुकद्दमे [redacted]

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी (I.A.S.) — मुकाम — रामगंजमण्डी

व इजलास — देशल दान

रामचंद — बनाम — रामगोपाल

दावा बाबत — 188. R.T. Act. 1955

मुकद्दमा नं — 59 — सन् — 2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — मुझ देशल दान (I.A.S)

बहाजरी श्री एस० आर० अहीर एड० — मिनजानिब मुद्दई व श्री एल. एन. धाकड़ एड. — मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है, कि वे ग्राम जुल्मी तह० रामगंजमण्डी की भूमि ख० नं० 2267 रकबा 1.75 है० पर वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत मजाहमत न स्वयं करें, न अपने एजेन्ट से करावें।

बीज — × — मुबालिग — × — बाबत — ×

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — × — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — × — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 03 — माह — 02 — 2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत — (हस्ताक्षर)
ओहदा — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान....	—	—	मीजान	—	—

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. बी. 136-2006-1,00,000 फार्म

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी